



UPSI180027682020

न्यायालय Civil Judge Junior Division, Mahmudabad, Sitapur
पीठासीन अधिकारी- (Mayank Prakash), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) -

UP02293

मूलवाद सं० - Civil Suit/386/2020

प्रेमा देवी बनाम अरविन्द सिंह आदि

दिनांक-04.12.2020

प्रार्थना-पत्र 6ग मय शपथ-पत्र एवं प्रा० पत्र 8ग वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 6ग2

वादी द्वारा प्रा० पत्र 6ग2 इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि गाटा सं० 137 रक्बा 0.543 हे० स्थित ग्राम कनरखी परगना को० द० तहसील महमूदाबाद जिला सीतापुर की वादिनी दर्ज संक्रमणीय भूमिधर तथा मालिक, काबिज है। वादीय भूमि को नक्शा नजरी संलग्न वाद-पत्र में अक्षर क,ख,ग,घ से प्रदर्शित किया गया है। वादीय भूमि से प्रतिवादीगण का कोई वास्ता-सरोकार नहीं है। वादीय भूमि में आम के 15, शीशम के 3, जामुन के 3 तथा पीपल के 2, भिलोर के 10 पेड़ लगे हैं तथा एक बांस कोठी भी लगी है। वादीय भूमि में वादिनी छप्पर डालकर निवास भी करती है। प्रतिवादीगण वादीय भूमि पर लगे पेड़ों को काटकर, उसपर कब्जा व निर्माण कर लेना चाहते हैं। अतः प्रतिवादीगण को निषेधित किया जाय। वादिनी की ओर से सूची 9ग से 10ग नकल खतौनी, 11ग खसरा दाखिल किया गया है।

वादिनी की ओर से दाखिल 10ग खतौनी प्रमाणित नहीं है तथा 11ग खसरे में वादिनी का नाम दर्ज नहीं है। इस कारण कोई निषेधाज्ञा आदेश पारित किये जाने से पूर्व प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते निस्तारण प्रा०-पत्र 6ग दिनांक-18.12.2020 को पेश हो।

सिविल जज (जू० डि०)

महमूदाबाद,सीतापुर।

J.O. Code-UP-2293

निस्तारण प्रार्थना-पत्र 8ग2

प्रार्थना-पत्र 8ग2 वादी की ओर से नियुक्त किये जाने कमीशन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

न्यायहित में प्रा० पत्र 8ग2 स्वीकार किया जाता है। बाद पैरवी सूची में नामित अगले क्रम के अधिवक्ता कमिश्नर को नोटिस जारी हो। कमिश्नर अपनी आख्या मय मानचित्र नियत तिथि तक प्रस्तुत करें।

सिविल जज (जू० डि०)

महमूदाबाद,सीतापुर।

J.O. Code-UP-2293

अजय/-